

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2021 — चैत्र 10, शक 1943

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-22/15-2/2021/2.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र 17 सन् 1961) की धारा 16—क के तृतीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 16—क के अधीन राज्य सरकार की शक्तियाँ तथा उन पर अधिरोपित कर्तव्य नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट विस्तार तथा सीमा तक और कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर प्रयोग करने के लिए प्रत्यायोजित करता है, अर्थात्:—

—: अनुसूची :—

क्र.	अधिकारी	शक्तियाँ तथा कर्तव्यों का विस्तार तथा सीमा	विनिर्दिष्ट क्षेत्र (जिला)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियाँ रायपुर (छ.ग.)	सोसाइटियों द्वारा सहयोग के सम्बंध में ऐसी समस्त प्रकार की प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों के सम्बंध में राज्य सरकार की शक्तियाँ तथा कर्तव्य, जिनके कार्यक्षेत्र की सीमा (विस्तार) कॉलम (4) में यथा वर्णित अधिकारिता के भीतर हो,	रायपुर तथा गरियाबंद

क्र.	अधिकारी	शक्तियाँ तथा कर्तव्यों का विस्तार तथा सीमा	विनिर्दिष्ट क्षेत्र (जिला)
(1)	(2)	(3)	(4)
		निम्नलिखित सहकारी सोसाइटियों को छोड़कर :- (i) सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियाँ, लैम्प्स, विपणन, दुग्ध उत्पादक, बुनकर, लघु वनोपज सहकारी सोसाइटियाँ। (ii) सोसाइटियाँ जहाँ शासन की अंशधारिता/ऋण/आर्थिक सहायता/अनुदान/शासन द्वारा प्रत्याभूति अथवा शासन के साथ व्यवसायिक संव्यवहार हो।	
2	उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियाँ महासमुंद (छ.ग.)	-तदैव-	महासमुंद
3	उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियाँ धमतरी (छ.ग.)	-तदैव-	धमतरी
4	उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियाँ बलौदाबाजार (छ.ग.)	-तदैव-	बलौदाबाजार-भाटापारा
5	उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियाँ दुर्ग (छ.ग.)	-तदैव-	दुर्ग
6	उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियाँ बालोद (छ.ग.)	-तदैव-	बालोद
7	उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियाँ बेमेतरा (छ.ग.)	-तदैव-	बेमेतरा
8	उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियाँ राजनांदगांव (छ.ग.)	-तदैव-	राजनांदगांव
9	उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियाँ कबीरधाम (छ.ग.)	-तदैव-	कबीरधाम
10	उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियाँ बिलासपुर (छ.ग.)	-तदैव-	बिलासपुर, मुंगेली तथा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
11	उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियाँ जांजगीर-चापा (छ.ग.)	-तदैव-	जांजगीर-चाँपा

क्र.	अधिकारी	शक्तियाँ तथा कर्तव्यों का विस्तार तथा सीमा	विनिर्दिष्ट क्षेत्र (जिला)
(1)	(2)	(3)	(4)
12	उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियाँ कोरबा (छ.ग.)	—तदैव—	कोरबा
13	उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियाँ रायगढ़ (छ.ग.)	—तदैव—	रायगढ़
14	उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियाँ सरगुजा (छ.ग.)	—तदैव—	सरगुजा, जशपुर, तथा बलरामपुर
15	उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियाँ सुरजपुर (छ.ग.)	—तदैव—	सुरजपुर तथा कोरिया
16	उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियाँ बस्तर (छ.ग.)	—तदैव—	बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा तथा सुकमा
17	उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियाँ कांकेर (छ.ग.)	—तदैव—	कांकेर, कोण्डागांव तथा नारायणपुर,

परन्तु उपरोक्त शक्तियों का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के प्रावधानों यथा — आमसभा, अंकेक्षण, निर्वाचन इत्यादि का पालन समयावधि में किया गया हो तथा शासन एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 स. सर्पराज, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2021

क्रमांक/एफ 15-22/15-2/2021/2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-22/15-2/2021/2 दिनांक 31-03-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2021

NOTIFICATION

No./F 15-22/15-2/2021/2.— In exercise of the powers conferred by the third provision of section 16-A of Chhattisgarh Co-operative societies Act 1960 (No. 17 of 1961) the State Government hereby , delegates the powers and duties imposed on the state government under section 16-A of the said Act to the officers specified in column (2) of the schedule below, to the extent and limit as specified in column (3) and within the area as specified in column(4) of the said schedule, namely :-

:- Schedule :-

S.No.	Officer	Extent and limit of powers and duties	Specified Area (District)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Deputy Registrar, Co-operative Societies Raipur Chhattisgarh	The powers and duties of State Government in respect of all types of primary co-operatives societies regarding collaboration by such societies whose area of operation extends within the jurisdiction as stated in column (4) except the following societies (i) Co-operative Banks, Primary Agricultural Credit Co-operative Societies, Marketing, Milk Producers, Weavers, Minor Forest Produce Co-operative Societies (ii) Societies having Government share holding /loan /financial assistance /grant /any guarantee by the Government or any business transaction with the Government	Raipur and Gariaband
2.	Deputy Registrar, Co-operative Societies Mahasamund Chhattisgarh	-----do-----	Mahasamund
3.	Deputy Registrar, Co-operative Societies Dhamtari Chhattisgarh	-----do-----	Dhamtari

S.No.	Officer	Extent and limit of powers and duties	Specified Area (District)
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Deputy Registrar, Co-operative Societies Balodabazar Chhattisgarh	-----do-----	Balodabazar- Bhatapara
5.	Deputy Registrar, Co-operative Societies Durg Chhattisgarh	-----do-----	Durg
6.	Deputy Registrar, Co-operative Societies Balod Chhattisgarh	-----do-----	Balod
7.	Deputy Registrar, Co-operative Societies Bemetara Chhattisgarh	-----do-----	Bemetara
8.	Deputy Registrar, Co-operative Societies Rajnandgaon Chhattisgarh	-----do-----	Rajnandgaon
9.	Deputy Registrar, Co-operative Societies Kabirdham Chhattisgarh	-----do-----	Kabirdham
10.	Deputy Registrar, Co-operative Societies Bilaspur Chhattisgarh	-----do-----	Bilaspur, Mungeli and Gaurela-Pendra- Marwahi
11.	Deputy Registrar, Co-operative Societies Janjgir-Champa Chhattisgarh	-----do-----	Janjgir-Champa
12.	Deputy Registrar, Co-operative Societies Korba Chhattisgarh	-----do-----	Korba
13.	Deputy Registrar, Co-operative Societies Raigarh Chhattisgarh	-----do-----	Raigarh
14.	Deputy Registrar, Co-operative Societies Surguja Chhattisgarh	-----do-----	Surguja, Jashpur and Balrampur
15.	Deputy Registrar, Co-operative Societies Surajpur Chhattisgarh	-----do-----	Surajpur and Korla
16.	Deputy Registrar, Co-operative Societies Bastar Chhattisgarh	-----do-----	Bastar, Bijapur, Dantewada, and Sukma
17.	Deputy Registrar, Co-operative Societies Kanker Chhattisgarh	-----do-----	Kanker, Kondagaon and Narayanpur

Provided that while exercising the above powers, it should be ensured that the provisions of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 and the Chhattisgarh Co-operative Societies Rules, 1962 such as Annual General Meeting, Audit, Election, etc have been followed in a timely manner and the guidelines and directions issued by the Government and Registrar, Co-operative Societies have been followed.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P.S. SARPRAJ, Deputy Secretary.